न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी :–

भागचन्द पुत्र शिवदया उर्फ शिवलाल
जाति गरूड़ सा. पीलवा

1. तहसीलदार, परबतसर
2. पटवारी हल्का पीलवा
3. पटवारी हल्का बंवला

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 22/7/21

मुकदमां नम्बर :–100/2019

1– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 323 रकबा 2.53 हैक्टयर भूमि तथा ग्राम बंवाल के खसरा नम्बर 337 रकबा 0.50 हैक्टयर भूमि स्थित है। ग्राम पीलवा व बंवाल के उपरोक्त खसरा में प्रार्थी का नाम खातेदारी में भागीरथलाल पुत्र शिवदयाल लिखा हुआ हैं जो प्रार्थी का बोलता नाम हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भागचन्द पुत्र शिवदयाल उर्फ शिवलाल हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम भागचन्द पुत्र शिवदयाल उर्फ शिवलाल हैं। जिससे प्रार्थी ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 323 तथा ग्राम बंवाल के खसरा नम्बर 337 में भागीरथलाल पुत्र शिवदयाल के स्थान पर भागचन्द पुत्र शिवदयाल उर्फ शिवलाल राजस्व रेकर्ड में अंकित कर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का इस्तदुआ की है।

2– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पीलवा की आराजीयत में शिवदयाल पुत्र मांगीलाल फौत होने पर जरिये विरासत से ओमप्रकाश, मोहनलाल, रतनलाल, भागीरथलाल, तेजाराम, भीकाराम पि. शिवदयाल , सुवादेवी बेवा शिवदयाल के नाम जरिये नामान्तकरण 606 से दर्ज हुए हैं, शेष प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे।

3– प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 323 की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 पेश की हैं, जिसमें ओमप्रकाश, मोहनलाल, रतनलाल, भागीरथलाल, तेजाराम, भीकाराम पि. शिवदयाल , सुवादेवी बेवा शिवदयाल प्रत्येक का 1/14 हिस्सा दर्ज हैं तथा श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं इसी प्रकार ग्राम बंवाल के खसरा नम्बर 337 की जमाबन्दी सम्वत 2072–75 पेश की हैं जिसमें भी ओमप्रकाश, मोहनलाल, रतनलाल,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

भागीरथलाल, तेजाराम, भीकाराम पि. शिवदयाल , सुवादेवी बेवा शिवदयाल प्रत्येक का 1/7 हिस्सा खातेदारी दर्ज हैं, प्रार्थी के अतिरिक्त प्रार्थी के 5 भाई एवं माता का नाम भी दर्ज रेकर्ड हैं जिनके पिता व पति का नाम भी शिवदयाल ही दर्ज तथा उनके द्वारा पिता पति का नाम शिवदयाल उर्फ शिवलाल दर्ज करने की कोई इस्तदुआ नहीं की गई हैं, अप्रार्थी के जबाब से स्पष्ट हो चुंका हैं कि प्रार्थी का नाम शिवदायाल पुत्र मांगीलाल खातेदार फौत होने पर उसकी विरासत के जरिये प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों एवं माता के नाम खातेदारी दर्ज हुई हैं। जिससे भी स्पष्ट होता हैं कि उक्त प्रार्थी का नाम उक्त आराजीयत में राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज नहीं होकर प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान एवं हल्का पटवारी को बताये अनुसार प्रार्थी का नाम भागीरथलाल पुत्र शिवदयाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ हैं, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी ने पेश नहीं किया हैं जिसमें पूर्व में प्रार्थी का नाम भागचन्द पुत्र शिवदयाल उर्फ शिवलाल दर्ज रहा हैं तथा बाद में राजस्व कार्मिको की गलती से राजस्व रेकर्ड में भागीरथलाल पुत्र शिवदयाल दर्ज हो गया हो, प्रार्थी के अन्य भाई व माता के आगे भी पिता व पति का नाम शिवदयाल ही दर्ज हैं, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सिद्ध नहीं होता है। स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22/7/14 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/7/14

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)